	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 25, बुधवार, *शाके* 1948- अप्रेल 15, 2026 Chaitra 25, Wednesday, Saka 1948- April 15, 2026	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 06, 2026

जी.एस.आर.10 :-राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्या 38) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 मे इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है और उक्त धारा की उप-धारा (4) के परन्तुक के प्रति निर्देश से आदेश करती है कि इस संशोधन के पूर्व प्रकाशन को अभिमुक्ति प्रदान की जाये क्योंकि राज्य सरकार का यह विचार है कि यह संशोधन तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिए, अर्थातः-

संशोधन

उक्त नियमो मेः-

नियम 75 मे उप नियम (ii) मे निम्नलिखित परन्तुक जोडा जायेगा, अर्थात्ः-

''परन्तु धनिया के लिए 'क' वर्ग दलाल को संदेय कमीशन एक प्रतिशत होगा।''

[संख्या प.10(2)कृषि/ग्रुप-2/1975 पार्ट]

राज्यपाल की आज्ञा से,

स्नेह लता हारीत,

शासन उप सचिव।

Government Central Press, Jaipur.